राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 825 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SM&ID)-CLC दिनांक– 12-12-17

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी / अध्यक्ष,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
2. **सिटी प्रोजेक्ट आफिसर / परियोजना निदेशक,**
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा,

लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी, मथुरा, मऊ, फर्रूखाबाद, बुलन्दशहर, रायबरेली, उरई–जालौन, उन्नाव, फैजाबाद, बांदा, बदायूं, मैनपुरी, देवरिया, एटा, आजमगढ़, शामली, महोबा, बिजनौर, श्रावस्ती, बहराइच, मिर्जापुर, अमरोहा, शिकोहाबाद–फिरोजाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, लोनी–गाजियाबाद, हापुड, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, जौनपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, हरदोई, बाराबंकी, कन्नौज एवं हाथरस उ0प्र0।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु निर्गत शासनादेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं0–677 / 241 / एनयूएलएम / तीन / 2001(SM&ID)-CLC दिनांक 03.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मिशन के अन्तर्गत संचालित CLC का सुचारू रूप से संचालन कर आत्मनिर्भर बनाये जाने के दृष्टिगत बिजनेस प्लान का एक मॉडल प्रारूप तैयार कर इस आशय से भेजा गया है कि उक्त प्रारूप पर बिजनेस प्लान तैयार कर तदानुसार CLC का संचालन किया जाये तथा निर्धारित प्रारूप पर बिजनेस प्लान की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये, जो कि अद्यतन अप्राप्त है, यह अत्यन्त निराशाजनक स्थिति है कि सी0एल0सी0 जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। CLC के सही तरीके से संचालन के सम्बन्ध में तत्काल निर्धारित प्रारूप पर बिजनेस प्लान तैयार कराकर तदानुसार संचालन सुनिश्चित कराते हुए CLC को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करायें तथा बिजनेस प्लान की एक प्रति तत्काल इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायें।

शहरी आजीविका केन्द्र के संचालन के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पत्र सं0–294 / 241 / NULM / तीन / 2001 (SM&ID)-II दिनांक 19.05.2017 के माध्यम से पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–374 / 2016 / 771 / 69–1–2016–14(56) / 2016 दिनांक 20.05.2016 को सन्दर्भित करते हुए शासनादेश के माध्यम से "दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में संचालित CLC को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाये जाने हेतु विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाएं CLC के माध्यम से लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है"।

उक्त के साथ ही शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों एवं समय–समय पर पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाते हुए CLC का सही तरीके से बिजनेस मोड में संचालन करायें।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त शासनादेश के अनुपालन में विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाएं CLC के माध्यम से लिए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय एवं शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें तथा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भेजे गये निर्धारित प्रारूप पर CLC का बिजनेस प्लान तत्काल तैयार कर तदानुसार संचालन कराते हुए बिजनेस प्लान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

12.12.2017.

(डा0 वी0के0 सिंह)
अपर निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मऊ को उनके पत्रांक–347 / सीएलसी / डूडा / 2017–18 दिनांक 27.11.2017 के अनुक्रम में प्रेषित।
3. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी / सिटी मिशन मैनेजर, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना, सी0एम0एम0यू0, डूडा उ0प्र0।
4. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(डा0 वी0के0 सिंह)
अपर निदेशक